



विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सूचना का अधिकार मामला
समयबद्ध

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
चीन प्रभाग

सं. ई/551/9/2016-आरटीआई

09 मई, 2015

सेवा मे,

श्री डाल चन्द पवार

डब्ल्यू 2/408, जैतो. पंजाब-151202

विषय: सूचना का अधिनियम 2005 ,के अंतर्गत माँगी गई सूचना

महोदय,

कृपया गृह मंत्रालय को संबोधित दिनांक 06.04.2016 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ ,विदेश मंत्रालय ,नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था

२. चीन के संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार है:-

विदेश मंत्री द्वारा 18 अप्रैल 2016 को मास्को में चीन के विदेश मंत्री वांग यि के साथ अपनी मुलाकात के दौरान और रक्षा मंत्री की 17 से 20 अप्रैल, 2016 तक चीन यात्रा तथा 20 से 21 अप्रैल, 2016 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया था।

भारत ने अपना यह पक्ष स्पष्ट तौर पर सूचित कर दिया कि आतंकवाद के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकता। चीन ने अक्सर आतंकवाद के फैलने से संबंधित अपनी चिंताएं बार-बार व्यक्त की हैं और इस मुद्दे पर हमसे सहयोग करने की भी अपनी इच्छा व्यक्त की है। सरकार इस मुद्दे पर चीन के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों को आतंकवादी गुटों जैसे जैश-ए-मुहम्मद तथा इसके सरगना मोहम्मद मसूद अजहर के आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए।

सर्वसम्मति तथा गोपनीयता के सिद्धांतों पर आधारित इसकी कार्यविधि इस समिति को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक चुनिंदा दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खतरे से निर्णायक तरीके से मुकाबला करने में मदद नहीं मिलती है।

हमने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है कि यद्यपि पाकिस्तान आधारित जैश-ए-मुहम्मद को इसकी आतंकी गतिविधियों एवं अल-कायदा के साथ संबंधों के कारण वर्ष 2001 में ही यूएनएससीआर 1267/1989/2253 के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति में सूचीबद्ध किया गया था, परंतु इस गुट के मुख्य सरगना, वित्त पोषक तथा मुख्य प्रेरक के नाम को तकनीकी आधार पर अस्थगित रखा गया है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक) पूर्व एशिया (एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

अनिकेत गो. मांडवगणे

(अनिकेत गोविंद मांडवगणे), आईएफएस

अवर-सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

F.NO.17012/75/2013/CFT
Government of India
Ministry of Home Affairs
IS-I Division /CFT Cell

North Block, New Delhi
Dated 29th April, 2016

To,

Shri Dal Chand Panwar,
W-2/408, Jaito,
Punjab-151202

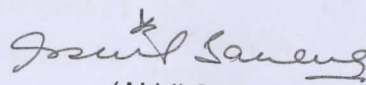
Subject: RTI Application seeking information under the Right to Information Act, 2005.

Please refer to your online RTI application dated 06.04.2016, registration no.MHOME/R/2016/00918 dated 21.04.2016 received by the undersigned on 26.04.2016, seeking information under the RTI Act, 2005.

2. The information sought by you is more closely related to EA Division of Ministry of External Affairs; therefore, your RTI application is being transferred to them under Section 6 (3) of the RTI Act, 2005 for providing information directly to you.

2. It is informed that in case you are not satisfied with the reply, you can prefer an appeal, within 30 days from the receipt of this communication, to the First Appellate Authority whose details are as under:

Shri Mukesh Mittal,
Joint Secretary (Internal Security-I),
Room No. 193-A/1, North Block, MHA
New Delhi. Tel:011 23092736
e-mail-jsis@mha.gov.in


(Akhil Saxena) 29.4.
Director (CFT) & CPIO
Tel&Fax: 23092698&23093001

Copy to:

1. ✓ Shri Aniket Govind Mandavgane, Under Secretary, EA Division, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi - The online RTI applications dated 06.04.2016 of Shri Dal Chand Panwar is transferred under Section 6(3) of the RTI Act, 2005, for providing information directly to the RTI applicant.
2. DS (IS-II), MHA- w.r.t. online transferred RTI dated 21.04.2016.
3. Section officer (IT) Cell, MHA with a request to upload it on MHA website.

CR NO: 750778 / US (IS-V)

RTI Details

75/396/2016/CFT

25/04/2016

26/4/16

RTI

99

DS

IS II

441

22/4

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :

MHOME/R/2016/00918

Date of Receipt : 21/04/2016

Type of Receipt :

Manually Transferred from Other
Public Authority with Payment

Language of Request : Hindi

Name : Dal Chand Panwar

Gender : Male

Address : W-2/408, Jaito,, Punjab., Pin:151202

State : Punjab

Country : Details not
provided

Phone No. : Details not provided

Mobile No. : Details not
provided

Email : Details not provided

Status(Rural/Urban) : Urban

Education Status : Graduate

Letter No. : 2005

Letter Date : 06/04/2016

Is Requester Below
Poverty Line ? : No

Citizenship Status : Indian

Amount Paid : 20) (original recipient)

Mode of Payment : Postal Order

Does it concern the life or
Liberty of a Person ? : No(Normal)Request Pertains to : S.K.
CHHIKARA,
DS(IS II)

Information Sought : RTI APPLICATION FROM DAL CHAND PANWAR.

Print

Save

Close

US (CFT) 26/4/16 SOC (CFT) 21/4/16
US (IS-V) 25/4/16

It relates to Div (CFT)

PS to DS (IS II)
Transferred online.
Very kindly see.

OV. No. 2005/2016-17
31/4/16

440

प्रधान मंत्री कार्यालय

सूचना का अधिकार

संख्या आरटीआई/3259/2016-पीएमआर

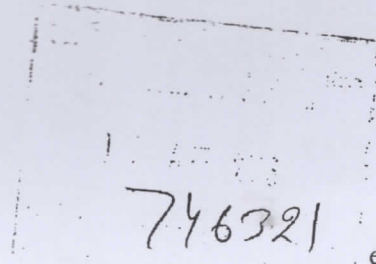
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011
दिनांक: 13/04/2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री डाल चन्द पवार से प्राप्त दिनांक 6.4.2016 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 8.4.2016 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथाचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।



अविनाश सिंह
(अविनाश कुमार सिन्हा)

अवर सचिव एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

e-mail: rti-pmo.applications@gov.in

☎: 2338 2590

✓ गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

विदेश सचिव विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री डाल चन्द पवार
डब्ल्यू-2/408, जैतो
पंजाब-151202

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें।

✓ D5T5T

Form-A

See Rule 3(1) 2005-8 APR 2016

सेवा में:- प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
 सूचना लेने वाले का नाम:- डॉ. चन्द पवार
 पूरा पता:- डॉ. चन्द पवार, आर. वी. आर्डी कार्यालय,

मोरा की गड्डि नुचला: पठानकोट हमले के मास्टर
 माईड मसूदा अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रति-
 व्यक्ति सूची में उल्लेख के नाम देव कामयाब
 हुआ था नहीं उनका उल्लेख किया जाए।

MEA
MHA

(2) मसूदा अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
 प्रतिव्यक्ति सूची के लिए चीन ने रोड़ा डाला
 उनके लिए म्यांमार भारत जेलिरवती विरोध
 देवा कराया था नहीं, उनका उल्लेख किया
 जाए।

सूचना आकांक्षित: डॉ. चन्द पवार
 पासपोर्ट नंबर 206 244485 केवल 20/-
 एम्प का नंबर 80540-89/10 Two RTI fees
 डायरी नंबर DSW/1385/6-4-16

Date
6-4-16हस्ताक्षर
Simranjit Singh

4392449

IPo NO. 206 244485 4 2 20/1

